मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

पंजीकरण दिनॉक: निर्णय दिनॉक: अवधि:
07/31/14 02/10/20 5Y6M 10D

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या-269/2014

1. श्रीमती अंगूरी देवी उम्र 24 वर्ष पत्नी स्व. स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद,
2. विवेक उम्र 6 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व. स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद,
3. उमेश उम्र 5 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व. स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद, द्वारा संरक्षिका श्रीमती अंगूरी देवी (मॉ)
4. श्रीमती बृजकुॅवर उम्र 50 वर्ष पत्नी हरप्रसाद,
5. हरप्रसाद उम्र उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री नथू,
समस्त निवासीगण ग्राम अजोखर, थाना व तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.),

----------याचीगण

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह बुंदेला)

बनाम

1. श्रीमती रामबेटी भदौरिया पत्नी स्व. तिलक सिंह भदौरिया निवासिनी 803 विजय नगर जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.), हाल निवासी पता महावीर गंज, थाना कोतवाली व जिला भिण्ड (म.प्र.),

.....स्वामी कार नं. एम.पी. 20 सीसी 0926
2. रमेश दहाय पुत्र नारायनदास निवासी बुधेड़ा, थाना अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.),

.....चालक अल्टो कार नं. एम.पी. 20 सीसी 0926
3. बालादीन पुत्र श्री भगवानदास निवासी ग्राम भानपुरा थाना मउरानीपुर जिला झांसी,

.....मालिक आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994
4. अनन्तराम पुत्र डालचन्द्र निवासी ग्राम कुंआगांव थाना मउरानीपुर जिला झांसी,
5. आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड ज.इं.कं.लि., मुम्बई,

.....बीमा कं. आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994

----------विपक्षीगण

(द्वारा विद्वान् अधिवक्तागण श्री पी. के. मिश्रा-विपक्षी सं. 1 व 2; शंकर सिंह यादव, राजेश कुमार यादव, एम. के. पाराशर-विपक्षी सं. 3 व 4; व अरुण श्रीवास्तव विपक्षी सं. 5)

<u>अधिनिर्णय</u>

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 163A व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना मे श्री स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति ` 30,50,000 हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद उम्र 25 साल दिनॉक 27.05.2014 को आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 से ग्राम भानपुरा से मउरानीपुर की ओर आ रहा था। जैसे ही ग्राम बड़ागॉव तिगैला के आगे थाना मउरानीपुर जिला झांसी के पास आया तो समय करीब 11.00 बजे दिन सामने से गलत साईड मउरानीपुर से आ रही अल्टो कार नं. एम.पी. 20 सीसी 0926 के चालक ने तेजी व लापरवाही से अल्टो कार चलाकर आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 में जोरदार टक्कर मार दी जिससे स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक मकान बनाने का कुशल कारीगर था जिससे वह `

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 10:55:38 IST
Reason: Document Owner
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

500/- प्रतिदिन कमा लेता था जिससे वह अपने बच्चों व पत्नी का भरण-पोषण करता था। याची सं. 1,2,3, व 4 क्रमश: मृतक के पत्नी, दो पुत्र व माता पिता हैं।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 क्रमशः प्रश्नगत अल्टो कार नं. एम.पी. 20 सीसी 0926 के पंजीकृत स्वामी एवं चालक की ओर से संयुक्त जवाबदावा 36B दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि चूंकि घटना स्वयं आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने व अत्यधिक सवारियां भरने के कारण घटित हुयी है, इस कारण याचीगण विपक्षी उत्तरदाता से कोई क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं।

4. विपक्षी सं. 3 व 4 प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 के क्रमशः पंजीकृत स्वामी एवं चालक की ओर से 44B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है, कि उनकी उक्त आपे के सभी कागजात दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी थे, किन्तु वे दुर्घटना के समय चोरी हो गये थे। दुर्घटना के समय विपक्षी सं. 4 के पास वैध एवं प्रभावी चालक लाइसेन्स था तथा वह एक कुशल चालक है। कथित दुर्घटना प्रश्नगत अल्टो कार चालक के चालक द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से गलत साईड में कार चलाये जाने के कारण घटित हुयी है, इस कारण विपक्षीगण याचीगण को कोई क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।

5. विपक्षी सं. 5 आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड ज.इ.कं.लि. बीमा कं. (बीमा कं. आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994) की ओर से 52B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि कथित दुर्घटना के समय यदि उक्त आपे के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तो के विरूद्ध अवैधानिक रूप से उक्त आपे को चला रहा था एवं उक्त आपे के सभी कागजात वैध एवं प्रभावी नहीं पाये जाते हैं, तो ऐसी दशा में विपक्षी बीमा कम्पनी याचीगण को कोई क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेंदारी बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तों एवं लिये गये प्रीमियम के अनुसार ही आयद होती है।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अंतिम बार दिनॉक 18-05-2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः

1– क्या दिनॉक 27.05.2014 को समय करीब 11 बजे दिन, जब याचीगण के पति/पिता/पुत्र मृतक स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद आपे संख्या यू.पी. 93 T 0994 से ग्राम भानपुरा से मऊरानीपुर की ओर जा रहा था कि जैसे ही ग्राम बड़ागॉव तिगैला के आगे थाना मऊरानीपुर जिला झॉसी के पास आये, तो सामने से गलत साइड से अल्टो कार नम्बर एम.पी. 20 CC 0926 के चालक ने उक्त अल्टो कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर आपे संख्या U.P. 93 T 0994 में जोरदार सामने से टक्कर मार दी, जिससे मृतक स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद गम्भीर रूप से घायल हो गये एवं दौरान इलाज मेडिकल कालेज, झॉसी में उनकी मृत्यु हो गयी?

2– क्या दुर्घटना के दिनांक व समय पर अल्टो कार नं. एम.पी. 20 सीसी 0926 के चालक के पास उक्त अल्टो कार को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

3– क्या दुर्घटना के दिनांक व समय पर आपे नं. यू.पी. 93 टी 0994 विपक्षी सं. 5 आई.सी.आई.सी.आई. लाम्बार्ड इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी?

4– क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो किस विपक्षी से व कितनी?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

1- याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7C1 से 7 दस्तावेज एफ.आई.आर., आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, चालक लाइसेन्स, पंजीयन प्रमाणपत्र व निवास प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां, फेहरिस्त 21C1 से 4 दस्तावेज एफ.आई.आर., आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां दाखिल की गयी हैं।

2- याचीगण की ओर से फेहरिस्त से 5 प्रपत्र जिनमें हर प्रसाद के परिवार रजिस्टर, मृतक के अंकपत्र की फोटो प्रतियां शामिल हैं।

3- विपक्षी सं. 5 की ओर से फेहरिस्त 64C1 से 65C1 वाहन सं. U.P. 93 T 0994 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति।

4- याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 श्रीमती अंगूरी देवी, एवं पी.डब्लू. 2 अरविन्द को परीक्षित कराया गया है।

5- विपक्षी की ओर से डी.डब्लू. 1 राजेश भदौरिया को परीक्षित कराया है।

8. याची या उनके विद्वान् अधिवक्ता व विपक्षी सं. 3 व 4 या उनके विद्वान् अधिवक्ता कई बार पुकार के बावजूद उपस्थित नहीं आये। पूर्व मे बहस के कई मौके तथा अंतिम मौका दिया जा चुका है। विपक्षी सं. 1, 2 व 5 के विद्वान् अधिवक्तागण उपस्थित आये। विधि व्यवस्था United India Insurance Co. Ltd. vs. Additional District and Sessions Judge and Ors. (21.02.2003 - ALLHC) : MANU/UP/1479/2003 में यह धारित किया गया है कि वाद बिन्दु विरचित हो जाने के पश्चात यदि पक्षकार उपस्थित नहीं आते हैं तो न्यायाधिकरण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय दे सकता है। मैंने विपक्षी सं. 1, 2 व 5 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

9. उभय पक्ष के अभिवचनों में दुर्घटना का होना स्वीकृत है। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट साढ़े नौ घंटे बाद दर्ज करा दी गई है। आरोपपत्र में कार चालक विपक्षी संख्या दो को आरोपी बनाया गया है अतः दुर्घटना का होना साबित है। इस दुर्घटना में स्वामी रैकवार की मृत्यु हो गई इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है। पत्रावली पर श्री स्वामी रैकवार की शव विच्छेदन आख्या उपलब्ध है, जिसके अनुसार मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोटों के कारण सदमा व रक्त स्राव है। यह दुर्घटना दो वाहनों के आमने-सामने की टक्कर की है। पुलिस की नक्शा-नजरी निम्न प्रकार है-

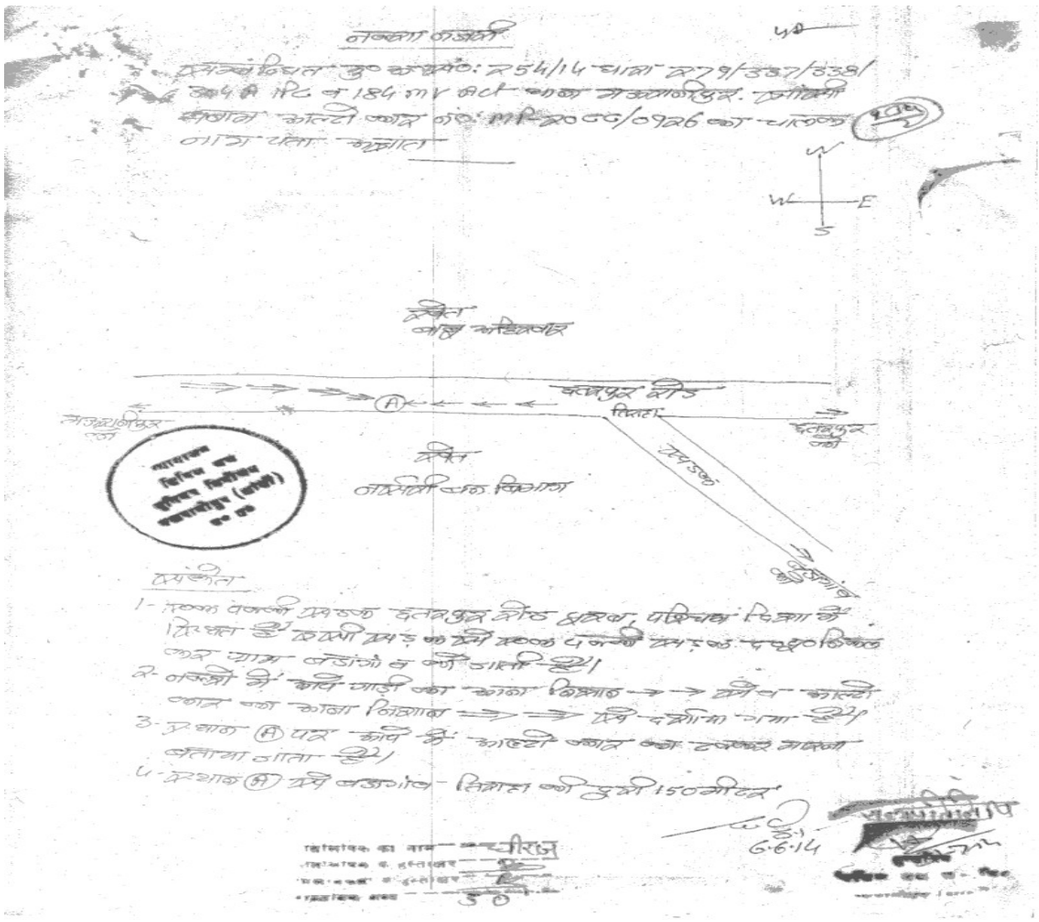

अपने-अपने अभिकथनों में दोनों वाहनों के चालकों द्वारा एक दूसरे पर तेजी व लापरवाही के आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या दुर्घटना में संपूर्ण लापरवाही आल्टो कार के चालक की थी? याचीगण की ओर से 2 साक्षी PW1 एवं PW2 प्रस्तुत किए गए हैं। PW1 दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, अत: दुर्घटना के बिंदु पर PW1 के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। PW2 अरविंद कुमार ने अपने आप को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया है। उसने एक ओर यह कथन किया है कि ऑल्टो कार के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सही साइड से जा रही आपे में टक्कर मार दी दूसरी ओर जिरह में यह भी कहा है कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना में किस वाहन की गलती थी। एक ओर यह साक्षी कहता है कि घटना की रिपोर्ट आपे मालिक ने कार चालक के विरुद्ध कराई थी , दूसरी ओर को यह भी कहता है की उसे नहीं मालूम कि कार चालक के खिलाफ F.I.R. हुई कि नहीं। मृतक की पत्नी अंगूरी देवी PW1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है की वह दुर्घटना के समय आपे में नहीं बैठी थी जबकि इस साक्षी ने अंगूरी देवी को आपे में बैठा होना बताया है। पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में इस साथी का नाम नहीं है। इस साक्षी को इस बात पर भी संदेह है कि आपे पूर्व से पश्चिम जा रहा था। इस साक्षी ने ऑल्टो कार को मारुति वैन बताया है तथा उसके नंबर प्लेट पीले रंग की बताई है जबकि आल्टो का टैक्सी होने का कोई मामला नहीं है। PW2 का यह कथन है कि उसने दुर्घटना की सूचना मृतक के घर वालों को दी थी जब कि PW1 का यह कहना है की दुर्घटना की सूचना गांव वालों ने दी थी, उनके नाम उसे याद नहीं हैं। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आपे में 14, 15 सवारियां बैठी थीं जो कि लगभग असंभव है। इस साक्षी ने कथन किया है कि उसे समन नहीं मिला था, याचिया के कहने पर गवाही देने आया है। PW2 के उक्त समस्त परस्पर विरोधी कथनों से विपक्ष के इस सुझाव में मैं बल पाता हूं कि यह साक्षी

घटना का चक्षुदर्शी नहीं है बल्कि इसे याचिका को बल प्रदान करने के लिए बाद में रोपित किया गया है। विपक्षीगण संख्या एक व दो की ओर से DW1 को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने कथन किया है कि वह आल्टो कार मे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर यात्रा कर रहा था। दुर्घटना में आपे चालक की पूरी लापरवाही थी। आपे वाला 15-20 सवारी आपे में बैठाए हुए था। आपे लहराते हुए आ रहा था, उसने 50 कदम की दूरी से देख लिया था। यदि साक्षी ने 50 कदम की दूरी से देख लिया था तो अपने ड्राइवर को यह निर्देश देना चाहिए था की वह अपनी अल्टो कार को बायें साइड की सड़क की पटरी पर उतार कर खड़ी कर ले जबकि उसने स्वीकार किया है कि उसने ऐसा नहीं किया। यह साक्षी वाहन स्वामी का पुत्र है और हितबद्ध साक्षी है। आपे में 15-20 सवारी बैठे होने की बात विश्वासनीय प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि साक्षी के पास आपे में बैठी सवारियों को गिनने का अवसर नहीं था और आपे एक छोटा वाहन होता है जिसमें अधिक से अधिक तीन से चार सवारी बैठ सकती हैं और यदि आपे पर सवारियों के लटके होने की बात भी मान ली जाए तो भी आपे के चारों और 10 लोग नहीं लटक पाएंगे। इस साक्षी ने कथन किया है कि वह पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया था लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। पुलिस द्वारा यदि विपक्षीगण की बात नहीं सुनी जा रही थी तो उसके पास उच्चाधिकारियों तथा न्यायालय के पास जाने के विकल्प भी मौजूद थे किंतु उनका उपयोग नहीं किया गया; जिससे स्पष्ट होता है कि कार चालक की भी दुर्घटना में योगदाई लापरवाही रही है। विपक्षी सं. 3 व 4 प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 के क्रमशः पंजीकृत स्वामी एवं चालक की ओर से दाखिल जवाबदावा में कथन किया गया है कि उनकी उक्त आपे के सभी कागजात दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी थे किन्तु वे दुर्घटना के समय चोरी हो गये थे। दुर्घटना के समय विपक्षी सं. 4 के पास वैध एवं प्रभावी चालक लाइसेन्स था तथा वह एक कुशल चालक है। किन्तु याचीगण एवं विपक्षीगण की ओर से उक्त प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 के चालक के ड्राईविंग लाइसेन्स के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह निष्कर्श होता है कि उक्त प्रश्नगत आपे के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी चालक लाइसेन्स नहीं था और वह कुशल चालक नही था; जिससे स्पष्ट होता है कि आपे चालक की भी दुर्घटना में योगदाई लापरवाही रही है। उभय पक्षों में से किसी के भी वाहन चालकों ने अपनी परीक्षा साक्षी के रूप में नही कराई है जिससे यह पता चलता कि वास्तव में किस चालक की कितनी लापरवाही थी जबकि वे विपक्षी हैं। प्रकरण दो वाहनों के आमने-सामने की टक्कर का है, आपे चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जिससे यह उपधारित किया जा सकता है कि वह वाहन चालन में अनाड़ी है और ऑल्टो कार चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति है जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है जिस पर किसी का विरोध नहीं है , अत**:** इन परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि इस दुर्घटना में कार व आपे चालकों की लापरवाही क्रमश: 40 व 60 प्रतिशत थी। वाद बिन्दु सं. 1 तदनुसार याचीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 2</u>

10. पत्रावली पर याचीगण की ओर से वाहन सं. एम.पी. 20 CC 0926 के चालक रमेश के ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति प्रपत्र सं. 12C1 दाखिल की गयी है जिसके विरोध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया है। इसकी वैधता सन् 2012 से 2025 तक है। प्रपत्र सं. 12C1 के अवलोकन से विदित होता है कि चालक रमेश का चालक लाइसेन्स दुर्घटना की तिथि पर वैध व प्रभावी था। वाद बिन्दु सं. 2 तदनुसार सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 3</u>

11. पत्रावली पर विपक्षी सं. 5 बीमा कम्पनी की ओर से आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 की बीमा पॉलिसी 65C1 दाखिल है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि यह बीमा दुर्घटना के बाद कराया गया है। दुर्घटना के समय आपे के विमित होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अत: बिन्दु सं. 3 नकारात्मक रूप से विपक्षीगण सं. 3 व 4 के विरूद्ध तथा विपक्षी सं. 5 के पक्ष मे निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 4</u>

12. वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित हुआ है कि इस दुर्घटना में कार व आपे चालकों की लापरवाही क्रमश: 40 व 60 प्रतिशत थी। प्रश्नगत दुर्घटना में स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद मृत्यु हुयी है। याची सं. 1 PW1 अंगूरी देवी ने अपने साक्ष्य मे यह कथन किया है कि मृतक स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद उनके पति, याची सं. 2 व 3 के पिता तथा याची सं. 4 व 5 के पुत्र थे और यह सभी लोग मृतक स्वामी रैकवार उर्फ स्वामी प्रसाद पर निर्भर थे। विपक्षीगण द्वारा इस तथ्य का खण्डन करने मे समर्थ नही हो सके हैं। अतः मैं इस निश्कर्ष का हूॅ कि याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति याचीगण प्राप्त करने के आधिकारी हैं? चूंकि कार व आपे चालकों की लापरवाही क्रमश: 40 व 60 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, पत्रावली पर कार सं**.** एम**.**पी**.** 20 CC 0926 के बीमित होने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, दुर्घटना के समय दोनो वाहन बीमित नहीं थे, कार सं**.** एम.पी. 20 CC 0926 के चालक को दोस्ती मे बगैर बीमित कार का चालन स्वीकार नही करना चाहिए था; अतः याचीगण को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का दायित्व कार सं**.** एम.पी. 20 CC 0926 व आपे सं. यू.पी. 93 टी 0994 के वाहन स्वामियों व चालकों विपक्षी सं. 1 लगायत 4 का संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से होगा।

<u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

13. PW1 मृतक की पत्नी ने मृतक को मकान बनाने का कारीगर का काम करने से ` 500/- प्रतिदिन आय होना बताया है। PW2 ने मृतक को मकान बनाने का कारीगर बताया है। हलॉकि PW2 दुर्धटना के बिंदु पर विश्वासनीय नही है लेकिन यह नही कहा जा सकता है कि वह एक बात मे झूठ है तो सभी बातों मे झूठ होगा। PW1 मृतक की पत्नी ने अपनी जिरह में यह तो कथन किया है कि उसे पति उसे रोज पॉच सौ रूपये देते थे और आय का रजिस्टर बनाया करते थे किन्तु यह भी कथन किया है कि जहॉ भी काम मिलता था वहॉ काम कर लिया करते थे। आय का रजिस्टर पेश नहीं किया गया है। PW1 द्वारा आय को बढ़ा-चढ़ा कर बताये जाने से इंकार नही किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मकान बनाने वाले कारीगर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ` 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। उल्लेखनीय है कि मकान निर्माण करने वाले मजदूर को शहर मे पूरे वर्ष रोजगार मिलने की संभावना हो सकती है किंतु देहात मे ऐसी संभावना कम है। माह मे औसतन चार दिन मजदूरी न लग

पाने की संभावना रहती है। इस परिस्थितयों में कल्पित आय (Notional Income) ` 165 निर्धारित की जाती है।

14. याचीगण ने याचिका में मृतक की उम्र 25 वर्ष, बच्चों विवेक व उमेश की आयु क्रमश: 6 व 5 वर्ष होने का उल्लेख किया है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 25 वर्ष अंकित है। किन्तु PW1 ने प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि शादी के समय उसके पति 20 वर्ष के थे, उसके दो बच्चे हैं जिनकी उम्र कर्मचारी 5 वर्ष 7 वर्ष है, से मृतक की आयु 25 वर्ष से अधिक साबित होती है। मृतक की आयु 25 वर्ष से अधिक होने का समर्थन पत्रावली पर उपलब्ध मृतक के शैक्षिक प्रपत्रों (हाई स्कूल अंक पत्र जन्म तिथि 02.11.86) तथा परिवार रजिस्टर की छाया प्रति से भी होता है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार इस (26-30) आयु वर्ग के लिए 17 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % संभावित प्रत्याशा की वृद्धि, 5 लोगों की निर्भरता पर स्वयं के खर्च पर एक चौथाई की कटौती, याचीगण के क्रमशः पति, पिता व पुत्र की मृत्यु को दृष्टिगत रखते हुये संपदा की क्षति के लिए 10000/-, याचीगण की आर्थिक स्थति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ` 10,000/- तथा दाम्पत्य सुख से वंचित रहने के मद मे ` 40,000/- निर्धारित किये जाते हैं।

INCOME-DAILY **x** DAYS OF MONTH **x** MONTHS OF YEAR	165	30	12	59400
FUTURE PROSPECTS IN %			40	23760
PART OF SELF EXPENSE			4	20790
AFTER DEDUCTION OF PART OF SELF EXPENSE (MULTIPLICAND)				62370
MULTIPLIER			17	1060290
LOSS OF CONSORTIUM			40000	1100290
LOSS OF ESTATE			10000	1110290
FUNERAL EXPENSE			10000	1120290
TOTAL DAMAGES				**1120290**

15. इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि 11,20,290/- (ग्यारह लाख बीस हजार दो सौ नब्बे) आती है। National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक में 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

16. समस्त याचीगण के मध्य क्षतिपूर्ति धनराशि का 20-20 प्रतिशत भाग का बंटवारा किया जाना न्यायोचित होगा। **Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC)** : MANU/SC/1949/2009 के आलोक में क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। मेरे विचार से याची संख्या 2 व 3 की संपूर्ण धनराशि उनके वयस्क होने तक, याची सं. 1 की 70% धनराशि 5 वर्ष के लिए तथा याची सं. 4 व 5 की 60-60% धनराशि 3-3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सावधि जमा खाते में जमा कराया जाना याचीगण के हित में होगा जिसके मासिक ब्याज से वे अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 1 व 2 तथा 3 व 4 के विरुद्ध क्रमश: 40 तथा 60 के अनुपात मे क्षतिपूर्ति धनराशि ` **11,20,290/- (ग्यारह लाख बीस हजार दो सौ नब्बे)** मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. 1 व 2 का दायित्व संयुक्त एवम् पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि का 40 प्रतिशत होगा तथा विपक्षी सं. 3 व 4 का दायित्व संयुक्त एवम् पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि का 60 प्रतिशत होगा। विपक्षीगण 1 लगायत 4 को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

समस्त याचीगण क्षतिपूर्ति धनराशि का 20-20 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे।

याची संख्या 2 व 3 की संपूर्ण धनराशि उनके वयस्क होने तक, याची सं. 1 की 70% धनराशि 5 वर्ष के लिए तथा याची सं. 4 व 5 की 60-60% धनराशि 3-3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सावधि जमा खाते में जमा कराया जाएगा जिसका वे मासिक ब्याज प्राप्त करते रहेंगे।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 10.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनॉक 10.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी